



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
६वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार
लखनऊ।

संख्या : 1110-अ-02/सी०ईएच०/नियुक्ति (सीधी भर्ती-बैकलाग-59)/08 दि०: 04-09-2008

कार्यालय ज्ञापन

सचिव, विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्या-बी-07/वि०से०आ०/07 के अन्तर्गत आयोजित लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के फलस्वरूप बैकलाग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों की सूची उनके पत्र संख्या-905-बी-07/वि०से०आ०/अ०अभि०(प्र०)(वि०), दिनांक 03-09-2008 द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी। उक्त सूची के आधार पर उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (विद्युत) के पद पर वेतनमान रु० 5300-150-5600-175-9100 (प्रारम्भिक वेतन रु० 5600/-) में इस ज्ञापन में वर्णित सेवा-शर्तों के अधीन, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान की जाती है तथा स्तम्भ-8 में अंकित इकाई में आबंटित/तैनात किया जाता है:-

क्र०सं०	रोल न०	नाम/पिता का नाम	जन्म तिथि	गृह जनपद	वर्ग	ब्रांच	आवंटित इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8
1	22107093	मीनाक्षी सिंह पुत्री श्री सुभाष चन्द्र सिंह	27/12/82	कानपुर	ओ०बी०सी०	विद्युत	मु०अ० (पारेषण)
2	22107041	बृजेश कुमार मौर्या पुत्र श्री सुरेशनाथ मौर्या	10-06-86	मऊ	ओ०बी०सी०	विद्युत	वाराणसी डिस्काम
3	22107063	हरिकेश सिंह पुत्र श्री योगेन्द्र सिंह	15/07/70	गाजीपुर	ओ०बी०सी०	विद्युत	मु०अ० (पारेषण)
4	22107188	वेद प्रकाश यादव पुत्र श्री रामआधार यादव	25/05/78	गोरखपुर	ओ०बी०सी०	विद्युत	वाराणसी डिस्काम
5	22107168	शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री ननकू राम	19/08/79	लखनऊ	ओ०बी०सी०	विद्युत	लखनऊ डिस्काम
6	22107162	सन्तोष कुमार यादव पुत्र श्री ओमप्रकाश यादव	10-12-82	जौनपुर	ओ०बी०सी०	विद्युत	मु०अ० (पारेषण)
7	22107195	विनोद कुमार यादव पुत्र श्री शिवमंगल यादव	20/11/81	बलिया	ओ०बी०सी०	विद्युत	वाराणसी डिस्काम
8	22107164	सतीश चन्द्र पुत्र श्री जटाशंकर	10-03-75	इलाहाबाद	ओ०बी०सी०	विद्युत	केस्को
9	22107136	राम अवध सिंह यादव पुत्र श्री भरत सिंह यादव	02-12-76	गाजीपुर	ओ०बी०सी०	विद्युत	मु०अ० (पारेषण)
10	22107075	जितेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री सत्यपाल सिंह यादव	01-01-83	अलीगढ़	ओ०बी०सी०	विद्युत	आगरा डिस्काम

(2)

1	2	3	4	5	6	7	8
11	22107082	कृष्ण मुरारी पुत्र श्री शिवपुजन गुप्ता	10-07-73	कुशी नगर	ओ0बी0सी0	विद्युत	वाराणसी डिस्काम
12	22107016	अनुप कुमार पुत्र श्री विष्णु कुमार वर्मा	01-07-79	सीतापुर	ओ0बी0सी0	विद्युत	लखनऊ डिस्काम
13	22107090	मनोज कुमार पुत्र श्री रामसेवक	05-10-82	बस्ती	ओ0बी0सी0	विद्युत	मु0अ0 (पारेषण)
14	22107154	संजय कुमार यादव पुत्र श्री लालजी यादव	07-11-79	गोरखपुर	ओ0बी0सी0	विद्युत	मु0अ0 (पारेषण)
15	22107010	आनन्द पाल सिंह पुत्र श्री किशोरी लाल	20/05/75	मुरादाबाद	ओ0बी0सी0	विद्युत	मेरठ डिस्काम
16	22107113	प्रियंका गुप्ता पुत्री श्री विजय कुमार गुप्ता	15/07/87	चन्दौली	ओ0बी0सी0	विद्युत	मु0अ0 (पारेषण)
17	22107071	जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री बिहारी लाल	09-11-77	फतेहपुर	ओ0बी0सी0	विद्युत	केस्को
18	22107008	अमित कुमार पुत्र श्री बी0पी0 सिंह	14/10/81	मुरादाबाद	ओ0बी0सी0	विद्युत	मेरठ डिस्काम
19	22107156	संजय यादव पुत्र श्री कन्हैया लाल यादव	02-09-80	इलाहाबाद	ओ0बी0सी0	विद्युत	मेरठ डिस्काम
20	22107005	अक्षय कुमार यादव पुत्र श्री सुरेन्द्र यादव	09-04-85	वाराणसी	ओ0बी0सी0	विद्युत	आगरा डिस्काम
21	22107011	अनिल कुमार राम पुत्र श्री नखरू राम	01-07-74	गाजीपुर	ओ0बी0सी0	विद्युत	मु0अ0 (पारेषण)
22	22107087	महेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री भागीरथ	15/03/71	जालौन	ओ0बी0सी0	विद्युत	आगरा डिस्काम
23	22107167	शैलेन्द्र गुप्ता पुत्र श्री बृजेन्द्र कुमार गुप्ता	01-07-84	फैजाबाद	ओ0बी0सी0	विद्युत	मेरठ डिस्काम
24	22107035	एजाज रसूल पुत्र श्री अहमद रसूल	01-01-70	उन्नाव	ओ0बी0सी0	विद्युत	केस्को
25	22107009	अमित कुमार पुत्र श्री शिवनन्दन	15/07/85	फर्रुखाबाद	ओ0बी0सी0	विद्युत	आगरा डिस्काम
26	22107070	जयकार पटेल पुत्र श्री नन्दलाल पटेल	15/07/81	वाराणसी	ओ0बी0सी0	विद्युत	आगरा डिस्काम
27	22107170	शेर सिंह पुत्र श्री सोरन सिंह	07-07-84	अलीगढ़	ओ0बी0सी0	विद्युत	आगरा डिस्काम
28	22107138	राम करन पुत्र श्री छोटे लाल	28/08/73	उन्नाव	ओ0बी0सी0	विद्युत	आगरा डिस्काम
29	22107029	अश्विनी कुमार गुप्ता पुत्र श्री बसन्त लाल गुप्ता	20/06/83	सोनभद्र	ओ0बी0सी0	विद्युत	मु0अ0 (पारेषण)
30	22107049	दिग्विजय सिंह पुत्र श्री बृजकिशोर स्वर्णकार	31/01/76	कानपुर	ओ0बी0सी0	विद्युत	आगरा डिस्काम
31	22107199	विवेक पटेल पुत्र श्री राम उजागिर वर्मा	03-05-71	अम्बेदकरनगर	ओ0बी0सी0	विद्युत	लखनऊ डिस्काम

1	2	3	4	5	6	7	8
32	22107171	शेषमणि विश्वकर्मा पुत्र श्री रामअधार विश्वकर्मा	01-01-72	इलाहाबाद	ओ0बी0सी0	विद्युत	केस्को
33	22107112	प्रवीण कुमार पुत्र श्री रवि प्रताप	27/06/82	देवरिया	ओ0बी0सी0	विद्युत	आगरा डिस्काम
34	22107026	अशोक कुमार पुत्र श्री लखनलाल	12-08-72	गाजीपुर	ओ0बी0सी0	विद्युत	आगरा डिस्काम
35	22107060	गिरीश कुमार सिंह पुत्र श्री रामबदन प्रसाद	02-07-81	बलिया	ओ0बी0सी0	विद्युत	आगरा डिस्काम
36	22107178	श्रीधर यादव पुत्र श्री मंगल प्रसाद यादव	17/04/78	मिर्जापुर	ओ0बी0सी0	विद्युत	वाराणसी डिस्काम
37	22107137	राम बहादुर पुत्र श्री राममिलन	10-07-80	फैजाबाद	ओ0बी0सी0	विद्युत	मु0अ0 (पारेषण)
38	22107121	राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री अनन्त कुमार	08-07-68	लखनऊ	ओ0बी0सी0	विद्युत	लखनऊ डिस्काम
39	22107014	अनिल कुमार यादव पुत्र श्री राममूर्ति यादव	03-07-85	जौनपुर	ओ0बी0सी0	विद्युत	आगरा डिस्काम
40	22107175	शोभित राम पुत्र श्री राधेश्याम	03-06-79	फैजाबाद	ओ0बी0सी0	विद्युत	आगरा डिस्काम
41	22107013	अनिल कुमार वर्मा पुत्र श्री प्रेमशंकर वर्मा	14/03/83	सोनभद्र	ओ0बी0सी0	विद्युत	आगरा डिस्काम
42	22107021	अरविन्द कुमार पुत्र श्री बलवीर सिंह	07-07-75	बागपत	ओ0बी0सी0	विद्युत	मेरठ डिस्काम
43	22107085	महेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री शिवपूजन यादव	10-02-82	जौनपुर	ओ0बी0सी0	विद्युत	आगरा डिस्काम
44	22107185	तेज पाल सिंह पुत्र श्री नेमसिंह	02-11-79	मथुरा	ओ0बी0सी0	विद्युत	आगरा डिस्काम
45	22107119	राज कुमार पुत्र श्री राम अवतार	04-01-70	कानपुर देहात	ओ0बी0सी0	विद्युत	केस्को
46	22107160	सन्तोष कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द	03-11-77	सिन्दार्थ नगर	ओ0बी0सी0	विद्युत	लखनऊ डिस्काम
47	22107094	मोहम्मद शाहिद अन्सारी पुत्र श्री शाह मोहम्मद अन्सारी	08-01-86	गोरखपुर	ओ0बी0सी0	विद्युत	आगरा डिस्काम
48	22107084	महेन्द्र कुमार पुत्र श्री लल्लू प्रसाद सिंह	02-03-81	वाराणसी	ओ0बी0सी0	विद्युत	आगरा डिस्काम
49	22107145	रणधीर सिंह पुत्र श्री केशव सिंह	15-07-74	गाजीपुर	ओ0बी0सी0	विद्युत	आगरा डिस्काम
50	22107078	कन्हैया लाल यादव पुत्र श्री दुयोधन प्रसाद यादव	17-05-75	गोरखपुर	ओ0बी0सी0	विद्युत	आगरा डिस्काम
51	22107176	श्रवण कुमार सिंह पुत्र श्री रामलखन सिंह	01-04-82	बनारस	ओ0बी0सी0	विद्युत	आगरा डिस्काम
52	22107130	रंजनीश पाल पुत्र श्री सुधर सिंह	09-06-82	फिरोजाबाद	ओ0बी0सी0	विद्युत	आगरा डिस्काम

1	2	3	4	5	6	7	8
53	22107057	दुष्यन्त कुमार पुत्र श्री उदय राम	01-01-69	अलीगढ़	ओ0बी0सी0	विद्युत	आगरा डिस्काम
54	22107064	हरिवीर सिंह पुत्र श्री जयपाल सिंह	20-03-72	मथुरा	ओ0बी0सी0	विद्युत	आगरा डिस्काम
55	22107127	राजेश कुमार जायसवाल पुत्र श्रीमाताप्रसाद जायसवाल	30-09-70	बनारस	ओ0बी0सी0	विद्युत	आगरा डिस्काम
56	22107166	सत्यम कुमार गोड़ पुत्र श्री उमाशंकर गोड़	31-01-86	देवरिया	अनु0ज0जाति	विद्युत	आगरा डिस्काम
57	22107089	मनीष चन्द्र पुत्र श्री हरीश चन्द्र	27-11-84	लखनऊ	अनु0ज0जाति	विद्युत	आगरा डिस्काम
58	22107174	शिवाकर सिंह पुत्र श्री लाखन सिंह	14-08-82	आगरा	अनु0ज0जाति	विद्युत	आगरा डिस्काम
59	22107076	कमलेश कुमार गोड़ पुत्र श्री देवीशरन	16-01-85	देवरिया	अनु0ज0जाति	विद्युत	आगरा डिस्काम

उपरोक्त सूची वरिष्ठता सूची नहीं है।

सेवा-शर्त :-

1. कार्यभार ग्रहण, तिथि

उपरिनामित समस्त अवर अभियन्ता (प्रशिक्षुओं) को सर्वप्रथम ज्ञापन के स्तम्भ-8 में आबंटित इकाई में दिनांक **15-10-2008** तक कार्यभार ग्रहण करना होगा।

2 निम्नलिखित प्रमाण-पत्र/अभिलेख योगदान देने के समय प्रस्तुत करना होगा:-

(1) प्रमाण-पत्र:-

- (क) अन्तिम कालेज अथवा विश्वविद्यालय, जहाँ से शिक्षा ग्रहण की हो, के प्रधान अधिकारी अथवा अधिष्ठाता से प्राप्त अच्छे-चाल चलन एवं चरित्र का प्रमाण-पत्र ।
- (ख) दो उत्तरदायी व्यक्तियों (राजपत्रित अधिकारी जो सम्बन्धी न हो) से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो आपसे भली-भाँति परिचित हों एवं आपके विश्व-विद्यालय, कालेज अथवा स्कूल से सम्बन्धित न हो।
- (ग) आपकी शैक्षिक योग्यताओं के सत्यापन हेतु प्रमाण-पत्रों की मूल एवं प्रमाणित प्रतिलिपियों का प्रस्तुतीकरण।
- (घ) वर्तमान सेवायोजन से प्राप्त कार्यमुक्ति पत्र (यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग अथवा सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।) कार्यमुक्ति पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को किसी भी दशा में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (च) जनपद के सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण-पत्र ।
- (छ) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-ज) पद प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र ।

- (ज) अभ्यर्थी को अपनी योगदान आख्या निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) एवं वर्णित प्रपत्रों पर अपनी पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ (प्रमाणित कराकर) चिपकाकर आबंटित इकाई में निर्धारित दिनांक 15-10-2008 तक प्रस्तुत करनी होगी एवं इस की एक प्रति मुख्य अभिन्यता(जल-विद्युत) लखनऊ के पते पर भेजना होगा।
- (झ) अभ्यर्थी को प्रशिक्षण अवधि तथा अवर अभियन्ता के नियुक्ति में इनकी सेवाएँ पूर्ववर्ती यू0पी0एस0ई0बी0 (एस0ई0एम0ई0एस0) सेवा नियमावली 1972 तथा समय-समय पर पा0का0लि0 में हुये/होने वाले संशोधन द्वारा नियंत्रित रहेगी।
- (न) उपरोक्त नियुक्ति अस्थायी है जो किसी की समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
- (द) प्रोवेशन की कुल अवधि प्रशिक्षण अवधि को सम्मिलित करते हुये दो वर्ष होगी।

(2) घोषणा-पत्र

- (अ) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने के सम्बन्ध में।
- (ब) कारपोरेशन में कार्यरत किसी व्यक्ति का आपके सम्बन्धी होने के सम्बन्ध में।
- (स) आपके ऋणमुक्त होने के सम्बन्ध में।
- (द) समस्त चल/अचल सम्पत्ति, आप द्वारा अथवा आप पर निर्भर आपके परिवार के सदस्य द्वारा स्वामित्व अथवा अधिग्रहित गृह सम्पत्ति की सम्मिलित करते हुए, इस प्रकार की सम्पत्ति का पूर्ण एवं सही विवरण परिशिष्ट-क में निर्धारित प्रपत्र पर दिया जाये।
- (च) कारपोरेशन के प्रति निष्ठा एवं विश्वासनीय सेवा के सम्बन्धी घोषणा-पत्र परिशिष्ट-ख में निर्धारित प्रपत्र पर।
- (र) राजनीतिक दलों से सम्बद्धता न होने विषयक घोषणा-पत्र परिशिष्ट-ग में निर्धारित प्रपत्र पर।
- (ल) शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान अथवा उपक्रम में सेवारत न होनेके सम्बन्ध में घोषणा-पत्र परिशिष्ट-घ में निर्धारित प्रपत्र पर।
- (व) चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र (चार प्रतियों) में।

(3) बन्ध-पत्र

बन्ध पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सम्मुख किया जाना चाहिए। सेवा अनुबन्ध-पत्र आपके द्वारा नियुक्ति पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट " ज " पर प्रतिभू एवं वर्णित व्यक्ति (प्रशिक्षु) द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक पन्ने पर किये गये हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय की मोहर सहित सत्यापित किये जाने चाहिए। निष्पादित सेवा अनुबन्ध-पत्र के अभाव में आपकी कार्यग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। परिशिष्ट " ज " के साथ संलग्न निर्देश के अनुसार हैसियत प्रमाण-पत्र संलग्न न होने की दशा में बन्ध-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। बन्ध-पत्र के निष्पादन हेतु निर्धारित प्रपत्र निर्देशों सहित परिशिष्ट " ज " के रूप में संलग्न है।

3. यदि नियुक्ति सम्बन्धी वर्णित सेवा शर्तें आपको स्वीकार्य हैं तो आप, उपरोक्त ज्ञापन के स्तम्भ-8 में आबंटित इकाई के समक्ष निर्धारित दिनांक **15-10-2008** तक उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्रों, घोषणा-पत्रों इत्यादि सहित कार्य ग्रहण करने हेतु उपस्थित हों। वॉछित प्रमाण-पत्रों, घोषणा-पत्रों एवं अन्य बन्ध-पत्र में से किसी के भी न होने अथवा अपूर्ण होने पर आपको कार्य ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
4. यदि आप उपरोक्त तिथि तक वॉछित अभिलेखों के साथ कार्य ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो यह नियुक्ति आदेश निरस्त हो जायेगा।
5. अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में आपकी नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है एवं किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
6. यह नियुक्ति अस्थायी है और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति/अनुजाति जनजाति के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन किये जाने के शर्त पर की जाती है। यदि सत्यापन किये जाने पर अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुजाति जनजाति का दावा झूठा पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये सेवा तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और झूठे प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता उपबन्धों के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के जायेगी।
7. उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप सं० 615-पें० एवं आर०-28/पाकालि०/2002 दिनांक 22.02.2002 में उल्लिखित कर्मचारी भविष्य निधि योजना एवं तत्संबन्धी प्राविधान आप पर लागू होंगे।

8. प्रशिक्षण

प्रशिक्षण की कुल अवधि 12 माह होगी। सर्वप्रथम 11माह का क्रियात्मक प्रशिक्षण क्षेत्रीय इकाई में करना होगा तथा एक माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम महानिदेशक प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर लखनऊ द्वारा निर्धारित कार्य क्रम के अनुसार सम्पन्न होगा। प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जायेगा।

1वर्ष की प्रशिक्षण अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने के पश्चात उपलब्ध करायी गयी विशेष कार्यकौशल आख्या सन्तोषजनक न पाये जाने पर 1वर्ष की अतिरिक्त प्रशिक्षण अवधि बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकता है इसके बाद भी आख्या सन्तोषजनक न पाये जाने पर निगम द्वारा अवर अभियन्ता प्रशिक्षु के रूप में दी गयी नियुक्ति समाप्त भी की जा सकती है।

9. परिलब्धियाँ

- (1) प्रशिक्षण कारपोरेशन की सन्तुष्टि के अनुरूप पूर्ण किये जाने के पश्चात् अभ्यर्थियों को अवर अभियन्ता के रूप में व्यतीत की गयी प्रशिक्षण अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये आगणित किया जायेगा। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि अभ्यर्थी का विनियमितीकरण अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर होने के पश्चात ही वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जायेगी।

- (2) प्रशिक्षण अवधि में अपका वेतन रू0 5300 – 150 – 5600 – 175 – 9100 (प्रारम्भिक वेतन– 5600/–) के वेतनमान में निर्धारित किया जायेगा। मूलवेतन के अतिरिक्त आपको महँगाई भत्ता भत्ता एवं कारपोरेशन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते भी देय होंगे।

10. सेवा अनुबन्ध–पत्र

इस नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी एवं उसके प्रतिभू(गारेन्टर) जो प्रचुर साधनों से युक्त हो (उसके पिता अथवा निकट सम्बन्धी भी हो सकते हैं) को रू0 110/– मूल्य के नान–जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त न्यूनतम तीन वर्षों तक कारपोरेशन की सेवा में रहने का सेवा अनुबन्ध–पत्र निष्पादित करना होगा। प्रशिक्षण अवधि में अथवा प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त 3 वर्षों की सेवा अवधि में कारपोरेशन की सेवा छोड़ने की दशा में अभ्यर्थी एवं उसके प्रतिभू संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से रू0 50,000/– (रुपये पचास हजार) की धनराशि कारपोरेशन को अदा करेंगे। अभ्यर्थी के प्रतिभू के पक्ष में राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के स्तर से कम न हो, से प्राप्त हैसियत प्रमाण भी आपको निष्पादित बन्ध–पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

11. कार्य ग्रहण करने सम्बन्धी अन्य सामान्य निर्देश

- (1) प्रशिक्षण अवधि में एवं तत्पश्चात अवर अभियन्ता पद पर नियुक्ति होने पर कारपोरेशन द्वारा समय–समय पर इस चयन में चयनित अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित सेवा नियम, आदेश एवं विनियम लागू होंगे।
- (2) अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में कार्य ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को कोई भी यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
- (3) प्रशिक्षण से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की दशा में प्रशिक्षण अवधि बढ़ाई जा सकती है।
- (4) अभ्यर्थी को राज्य में कहीं भी, जैसा की सक्षम अधिकारी द्वारा समय–समय पर उपयुक्त समझा जाये एवं तय किया जाये, तैनात/स्थानान्तरित किया जा सकता है।
- (5) उपरोक्त नियुक्तियों आपके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के सन्तोषजनक पाये जाने के प्रतिबन्ध के अधीन की गई है। चरित्र एवं पूर्ववृत्त असन्तोषजनक पाये जाने की दशा में प्रशिक्षण अवधि में अथवा उसके पश्चात किसी भी समय बिना कारण बताये हुये अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
- (6) टंकण की किसी त्रुटि के कारण सम्बन्धित प्रविष्टि मूल अभिलेखों के अनुसार संशोधन योग्य होगी।

उपरोक्त आदेश का विवरण पावर कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर भी देखा जा सकता है।

उदय भान पाण्डेय
मुख्य अभियन्ता(जल–विद्युत)

संख्या: 1110-अनु०-दो / सी०ई०एच० / नियुक्ति(सीधी भर्ती) / तद्दिनांक 04-09-2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ ।
2. प्रबन्ध निदेशक उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ ।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) , उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ ।
4. प्रबन्ध निदेशक मध्योच्चल / पूर्वांचल / दक्षिणोच्चल / पश्चिमोच्चल विद्युत विवतरण निगम लि०, लखनऊ / वाराणसी / आगरा / मेरठ / केस्को, कानपुर ।
5. महानिदेशक प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ ।
6. मुख्य अभियन्ता (पारेषण) उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ ।
7. सचिव, विद्युत सेवा आयोग उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० लखनऊ ।
8. संबन्धित अवर अभियन्ता(प्रशिक्षु)
9. कट फाइल ।

(अरविन्द किशोर पाण्डेय)
वैयक्तिक सहायक(षष्ठम)
कृते मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत)